

पत्र संख्या : 7ब/4702 योज०सं०-05/2012

45

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :

5.6.12

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796300545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश),	05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य / 50P470200796300545	270.00

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ सत्तर लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 16000.00 लाख (₹ एक सौ साठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

W



7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

45

राँची, दिनांक :- 5.6.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/लोहरदगर/गुमला/दुमका/सरायकेला-खरसौवा/जमशेदपुर/गुमला/साहेबगंज/लोहरगदगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

45

राँची, दिनांक :- 5.6.12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



45

राधा, पद्माक - 2012

पाराशर - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,  
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,  
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,  
उपशीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश)  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,  
विपन्न कोड-50P470200796300545  
बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 16000.00 लाख

(लाख रु० में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	गार्व 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अप्युक्ति
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
शृंखलाबद्ध चेकडेम का निर्माण											
Phase I											
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा	लोहरदगा	भण्डरा	1	खबास खिजरी नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	137.184	76.545	0.00	75.00	75.00	
			कुडू	2	शिरीनाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	129.848	90.543				
			सेन्हा	3	बाँकी नदी पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	186.510	107.825				
			किरको	4	किरकु नदी पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	149.600	54.625				
योग						603.142	329.538	0.000	75.000	75.000	
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला	गुमला	डुमरी	1	लघरी नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	139.000	84.910	0.00	54.00	54.00	
योग						139.000	84.910	0.000	54.000	54.000	
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	पू. सिंहभूम	चाकुलिया	1	चडहीडूवा नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	135.730	121.635	0.00	17.00	17.00	
योग						135.730	121.635	0.000	17.000	17.000	
4	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला	सरायकेला-खरसाँवा	गम्हरिया	1	राधा नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	132.820	88.250	0.00	8.00	8.00	
			राजनगर	2	कोलवीरा स्थानीय नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	124.080	99.176				
			सरायकेला	3	सिन्नी सिदगा नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	136.610	79.200				
योग						393.510	266.626	0.000	8.000	8.000	
5	लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका	दुमका	जामा	1	कोमरा नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	247.400	177.570	0.00	60.00	60.00	
			मसलिया	2	कुलरिया जोरिया नाला पर श्रृ. चेकडेम का निर्माण	200.000	116.570				
योग						447.400	294.140	0.000	60.000	60.000	
6	लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज	साहेबगंज	बरहरवा	1	दमनी नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	77.805	51.350	0.00	15.00	15.00	
			राजमहल	2	गम्हरिया नाला पर श्रृ. चेकडेम निर्माण	145.325	51.890				
योग						223.130	103.240	0.000	15.000	15.000	
7	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा	जामताड़ा	कुण्डहीत	1	बन्दरनाथा नाला पर श्रृ. चेकडेम का निर्माण	230.000	167.640	0.00	41.00	41.00	
			योग								
सकल योग						2171.912	1367.729	0.000	270.000	270.000	
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ सत्तर लाख मात्र।											

16/09-10 प्र. स्वी. दिनांक 13.02.10

(ऑफ़िस नम्बर)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव